भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5239
जिसका उत्तर बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

5239. श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्घटना पीड़ितों हेतु मुआवज़े के सम्बन्ध में लंबित मामलों की कुल संख्या सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार, राज्य सरकारों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की स्थापना के लिए कोई सहायता प्रदान कर रही है ताकि ऐसे मामलों का तेजी से निपटान हो सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : उच्च न्यायालयों और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों पर डाटा/सूचना राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के वेबपोर्टल पर उपलब्ध हैं। एनजेडीजी दुर्घटना पीड़ितों हेतु मुआवज़े के सम्बन्ध में लंबित मामलों की संख्या पर पृथक डाटा/सूचना नहीं रखता है।

(ख) और (ग) : मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 165, अन्य बातों के साथ उपबंध करती है कि राज्य सरकार , संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श करके, एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ऐसे क्षेत्र के लिए , जो अधिसूचना में विनिर्दिष् ट किया जाए , उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न् यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व् यक् तियों की मृत्यु या उन् हें शारीरिक क्षति हुई है या पर -व् यक् ति की किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है या दोनों बातें हुई हैं । ऐसे न्यायालय राज्यों में वर्तमान में कार्य कर रहे है।

****